

ई.डी. ने कूकस स्थित होटल फेयर माउंट में दबिश दी

महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी

—कार्यालय संवाददाता— जयपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए कूकस स्थित फाइव स्टार होटल फेयर माउंट में महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी की। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई रायपुर (छत्तीसगढ़) से आई विशेष प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) टीम द्वारा की गई। जिन्हें इनपुट मिला था कि इस ऐप से जुड़े कुछ संदिग्ध लोग होटल में एक शादी समारोह के सिलसिले में ठहरे हुए हैं। जिसके बाद टीम ने होटल के दो-तीन कमरों में ठहरे कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने में जुटी है।

ईडी टीम को यह इनपुट मिला था कि महादेव ऐप के संबंध में वांछित व संदिग्ध व्यक्ति जयपुर के कूकस स्थित फेयरमोंट होटल के दो-तीन कमरों में ठहरे हुए हैं। इनका संबंध महादेव बेटिंग ऐप के अवैध

- टीम को ऐप से जुड़े कुछ संदिग्ध लोग होटल में एक शादी समारोह के सिलसिले में ठहरे होने की जानकारी मिली थी
- आरोपियों को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ
- इसी मामले में 16 अप्रैल को भी जयपुर में ईडी ने मारे थे छापे

नेटवर्क से बताया जा रहा है। इसी आधार पर कार्रवाई करते हुए ईडी ने होटल में दबिश दी और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पूछताछ शुरू की। जानकारी के अनुसार महादेव बेटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ से आई ईडी की टीम ने 16 अप्रैल को जयपुर में ड्राई फ्रूट व्यापारी के घर पर छापा मारा था। सोडाला स्थित एपल रेजीडेंसी में व्यापारी भरत दाधीच के फ्लैट पर ईडी की टीम ने सर्च किया था।

इसके साथ ही महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े लोगों के 60 रिकार्डों पर सर्च कार्रवाई की गई थी। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़, भोपाल (मध्य प्रदेश), कोलकाता (पश्चिम बंगाल),दिल्ली और राजस्थान में एक साथ की गई थी। उस दौरान मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिप्टो करेंसी और शैल कंपनियों से जुड़े अहम सबूत मिले थे और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार महादेव बेटिंग ऐप एक अवैध ऑनलाइन

सट्टेबाजी मंच है, जो क्रिकेट,फुटबॉल जैसे खेलों पर सट्टा लगाने के लिए जाना जाता है। यह ऐप और इसकी वेबसाइट के जरिए अरबों रुपये का लेन-देन करता है। ईडी की जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क में कई प्रभावशाली लोग और व्यावसायिक संस्थाएं शामिल हैं। अनुमान है कि इस घोटाले में चालीस हजार करोड़ रुपये तक की हेराफेरी हो सकती है। गौतमलब है कि पिछले साल भी ईडी ने इस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की थी और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अप्रैल में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कोलकाता और दिल्ली में 60 से अधिक ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इसका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। इसमें कई प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का जन्मदिवस पर पाली स्थित उनके निवास पर भारतीय संस्कृति, सेवा भावना और समाज कल्याण के मूल्यों के साथ सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया। मदन राठौड़ ने सपत्नीक प्रातःकाल विधिवत पूजा-अर्चना और हवन किया। इसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, सामाजिक प्रतिनिधि और आम नागरिकों ने भाग लिया। सभी ने राठौड़ के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए उन्हें भारतीय राजनीति में एक अनुकरणीय नेतृत्व का प्रतीक बताया। राठौड़ के जन्मदिवस को "सेवा दिवस" के रूप में भी मनाया गया।

बारिश से खराब सड़कों की तुरंत मरम्मत हो : दिया कुमारी

जयपुर । उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बरसात के मौसम में सड़कों की स्थिति को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बारिश के कारण सड़कें खराब होती हैं तो उन्हें तत्काल ठीक करवाया जाए ताकि यातायात प्रभावित न हो और आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े।

बुधवार को सचिवालय में जोधपुर जोन प्रथम एवं बांसवाड़ा जोन की सड़क एवं अन्य परियोजनाओं की प्रगति को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में रहकर कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग करें। गौतमलब है कि उपमुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पीडब्ल्यूडी के कार्यों की प्रगति के लिए जोनवार साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

बैठक में जोधपुर, पाली, सिरोही, फलोदी, जालौर, बांसवाड़ा, झुंझर और प्रतापगढ़ जिलों की सड़क परियोजनाओं की माइक्रो लेवल पर समीक्षा की गई।

- उपमुख्यमंत्री ने सचिवालय में जोधपुर जोन प्रथम एवं बांसवाड़ा जोन की सड़क एवं अन्य परियोजनाओं की प्रगति को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक ली
- बैठक में जोधपुर, पाली, सिरोही, फलोदी, जालौर, बांसवाड़ा, झुंझरपुर और प्रतापगढ़ जिलों की सड़क परियोजनाओं की माइक्रो लेवल पर समीक्षा की

उपमुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में राह सुगम बनाने के लिए बन रहे ‘अटल पथ’ के साथ नाली निर्माण को अनिवार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही, बरसाती मौसम को देखते हुए सड़कों की बर्म रिपेयर और सड़क किनारे झाड़ियों की सफाई पर भी जोर दिया।

उन्होंने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं के कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने एवं 2025-26 की नई घोषणाओं की निविदा प्रक्रिया जल्द पूरी कर काम शुरू करवाने के निर्देश दिए।

वन भूमि विवाद या अन्य कारणों से लंबित परियोजनाओं की अलग-अलग समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर कार्य शीघ्र पूरे कराए जाएं।

उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अधिकारी आगामी पांच सप्ताह में यह रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि उन्होंने कितनी फील्ड विज़िट की, क्या खामियां पाई गईं और उनमें कितना सुधार कराया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जारी निर्देशों के अनुसार सभी कार्य समय पर पूरे हों। बैठक में एनएचआई, एनएच, आरएसआरडीसी, राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी, पेचेबल, नॉन पेचेबल और मिस्जिंग लिंक सहित सभी श्रेणियों की सड़कों की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में एसीएस पीडब्ल्यूडी प्रवीण गुप्ता, मुख्य अभियंता टीसी गुप्ता सहित संबंधित जिले व मुख्यालय के अधिकारी वरुंअल माध्यम से मौजूद रहे।

जयपर । अतिरिक्त सत्र न्यायालय, क्रम-11, महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर ने आपसी कहासुनी में युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त कुलवेन्द्र सिंह और अपराध में शामिल अभियुक्त सुनील शर्मा, पचवीर, जितेन्द्र माहेश्वरी उर्फ जीतू टाइगर और प्रीतम लालवानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर कुल 5.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी पुरवा चतुर्वेदी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त कुलवेन्द्र ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर गोल्डी व उसके साथियों के साथ बहसबाजी और मारपीट की। वहीं इस दौरान देसी कट्टे से गोली मारकर गोल्डी की हत्या कर दी। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

पीडित पक्ष के अधिवक्ता विपुल शर्मा ने अदालत को बताया कि जीतू टाइगर के साथी राजेश का पैसे के लेनदेन को लेकर सुनील चौधरी से विवाद चल रहा था। जिसके चलते राजेश ने उसके साथियों को अपने फार्म हाउस बुलाया और मारपीट की। वहां से आने पर साथियों ने अपने साथी जीतू

- अभियुक्त कुलवेन्द्र सिंह और अपराध में शामिल अभियुक्त सुनील शर्मा, पचवीर, जितेन्द्र माहेश्वरी उर्फ जीतू टाइगर और प्रीतम लालवानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

टाइगर को घटना की जानकारी दी। इस दौरान गोल्डी ने जीतू को थपड़ मार दिया और साथी को पिटवाने का आरोप लगाया। जहां जीतू के साथ आए कुलवेन्द्र का दीपक व अंकुर से विवाद हो गया और कुलवेन्द्र ने अंकुर पर देसी कट्टा तान दिया। इस पर गोल्डी ने बीच बचाव किया तो कुलवेन्द्र ने गोल्डी की गोली मारकर हत्या कर दी और अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। घटना को लेकर नारायण स्वामी ने सांगानेर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

‘कांग्रेस ने स्कूलों पर केवल बोर्ड लगाया, हमने उन्हें बेहतर बनाया’

जयपुर। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए आज प्रदेश के 970 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एक साथ विज्ञान संकाय खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में स्कूलों में विज्ञान संकाय खोली गई है।

प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए यह शिक्षा मंत्री की बड़ी सौगत के रूप में देखी जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार प्रदेश के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है। पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में झूठी वाहवाही लूटने के लिए हिंदी माध्यम के सरकारी विद्यालयों पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के बोर्ड टांग दिए। किंतु ढांचागत व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराई जिसके कारण छात्रों के भविष्य पर प्रश्न लगा और विद्यालयों के नामांकन गिरा। भाजपा सरकार ने सता में आते ही इन विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए उनकी समीक्षा प्रारंभ की। जिस पर विपक्ष ने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए सरकार पर महान्मा गांधी विद्यालयों को बंद करने के आरोप लगाए।

जन्मदिवस पर वृक्षारोपण किया

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भाजपा प्रदेश कार्यालय में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सेवा की भावना को प्रोत्साहित करते हुए "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कर हरित राजस्थान का संदेश दिया।

भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक ने बताया कि इस अवसर पर कार्यालय में कार्यरत सफाईकर्मियों एवं सुरक्षा कर्मचारियों का सम्मान कर उन्हें मिठाई वितरित की गई। इस विशेष आयोजन में भाजपा प्रदेश मंत्री पिकेश पोरवाल, अजीत मॉडन, मिथिलेश गौतम, स्टेफी चौहान, प्रमोद वशिष्ठ, अपूर्वा सिंह एवं प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ के संयोजक राजेंद्र सिंह शेखावत, जयपुर जिला महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष अनुराधा माहेश्वरी ने भाग लिया।

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

जयपुर। जिले की पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त हनुमान सहाय को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 2.85 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने का अपराध किया है। अभियुक्त का यह अपराध गंभीर और घृणित प्रकृति है। ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। अदालत ने कहा कि घटना में यदि पीडिता की सहमति भी रही थी तो भी यह अपराध कर श्रेणी में माना जाएगा। कानून में नाबालिग की सहमति कोई महत्व नहीं रखती है। वहीं डीएनए रिपोर्ट से भी साबित है कि अभियुक्त ने पीडिता से दुष्कर्म किया था।



राजधानी जयपुर में दिनभर की उमस के बाद बुधवार शाम को तेज बारिश का दौर चला, इससे देखते ही देखते शहर की सड़कों पर पानी भर गया। इससे पहले आसमां में दिनभर काले बादल छाये रहे।

- अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त हनुमान सहाय को बीस साल की सजा सुनाई

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर 22 जुलाई, 2022 को पीडिता ने अलवर के महिला चिकित्सालय में विराटनगर थाना पुलिस को पचां बयान दिया था। जिसके कहा गया कि 12 अप्रैल, 2022 को वह स्कूल गई थी। स्कूल में उसकी तबीयत खराब हो गई थी। वहीं रास्ते में वह बेहोश हो गई थी। इसके बाद उसे घर पर होश आया। इसके तीन-चार दिन बाद चारा लाने के दौरान भी वह रास्ते में बेहोश हुई। एक दिन

पहले उसके पेट में दर्द हुआ तो चिकित्सक ने उसे गर्भवती होना बताया। पचां बयान में पीडिता ने कहा कि जिस दिन वह स्कूल में बेहोश हुई थी, तब किसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, लेकिन उसे दुष्कर्म करने वाले की जानकारी नहीं है। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि हनुमान सहाय अपनी गाड़ी में पशु लाता है और उसके पिता उससे भैस खरीदते हैं। ऐसे में वह उसे जानती है। हनुमान ने उसके साथ खेत में कई बार गलत काम किया। जब उसने विरोध किया तो हनुमान ने उसे व उसके परिजनों को जान से मानने की धमकी दी। इसके बाद उसके पेट में दर्द हुआ तो उसे गर्भवती होने का पता चला।

वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा से दंडित किया है।

पखवाड़े के अन्तर्गत शिविरों का मुख्यमंत्री करंगे अवलोकन

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार समाज में अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से राहत देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए प्रदेशभर में 24 जून से दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आमजन के विभिन्न प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण हो रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं भी विभिन्न जिलों का दौरा कर प्रदेशभर में इस पखवाड़े के अन्तर्गत आयोजित हो रहे शिविरों का अवलोकन कर रहे हैं।

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री 3 जुलाई को सबाईमाधोपुर में बालेर (खण्डार) के राजकीय माध्यम उच्च माध्यमिक विद्यालय में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अन्तर्गत आयोजित शिविर का अवलोकन करेंगे। शर्मा 4 जुलाई को खैरथल-तिजारा तथा बानसूर (कोटपुतली-बहेरोड़) एवं 5 जुलाई को शेराढ़ (जोधपुर) में शिविर का अवलोकन करेंगे।

कोविड-19 में अनाथ हुए युवक को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने कोविड-2019 महामारी के चलते अनाथ हुए युवक को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर संयुक्त कार्मिक सचिव, विशेष राजस्व सचिव और दीसा कलेक्टर से जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश प्रतीक चौहान की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि कोविड के चलते अनाथ होने पर अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान होने के बावजूद प्रार्थी युवक को इसका लाभ क्यों नहीं दिया गया है।

याचिका में अधिवक्ता विवेक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की मां की मौत कोविड-19 के दौरान हुई थी। वहीं उसके पिता की मृत्यु साल 2019 में पहले ही हो चुकी थी। इसलिए राज्य सरकार से उसकी याचिकाकर्ता अपने माता-पिता की इकतली संतान था और उसके परिवार में कोई सरकारी सेवा में भी नहीं है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इस

- याचिकाकर्ता की मां की मौत कोविड-19 के दौरान हुई थी। वहीं उसके पिता की मृत्यु साल 2019 में पहले ही हो चुकी थी

संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। जिसमें कहा गया था कि कोविड-19 के दौरान जो लोग अनाथ हुए हैं, उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इस अधिसूचना के आधार पर याचिकाकर्ता ने दीसा जिला कलेक्टर के समक्ष अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए आवेदन किया। जिला कलेक्टर ने उसके अनुकंपा आवेदन का अभी तक निस्तारण नहीं किया है और ना ही उसे अनुकंपा नियुक्ति दी दी है। इसलिए राज्य सरकार से उसकी अधिसूचना की पालना करवाई जाए और याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

“गरीबी मुक्त राजस्थान” की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी पहल

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के गांवों को गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश के बीपीएल ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए शुरू की ग "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना" के तहत पहले चरण में 5 हजार गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों के चयनित बीपीएल परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को नया आयाम देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

गरीबी रेखा से ऊपर आए परिवारों को मिलेगी 21 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि:- योजना के तहत ऐसे परिवार जो अपने प्रवासों से गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, उन्हें सम्मान स्वरूप 21 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़े में ऐसे परिवारों के बैंक खातों का सत्यापन किया जा रहा है। ऐसे

- राज्य सरकार ने शुरू की 'पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना' के तहत पहले चरण में 5 हजार गांवों का चयन

22400 परिवारों के खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की जाएगी। अब तक 17 हजार 891 परिवारों के बैंक खातों का सत्यापन किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा इन परिवारों को प्रोत्साहन स्वरूप 'आत्मनिर्भर परिवार कार्ड' भी प्रदान किया जाएगा।

योजना के तहत चयनित गांवों में आत्मनिर्भर परिवारों के अतिरिक्त जिन परिवारों को गरीबी से उबरने में सहायता की आवश्यकता है, उन्हें आय सृजन, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन के लिए राज्य सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं। अब तक 61 हजार 442 परिवारों के आवेदन प्राप्त किये जा चुके हैं।

पहले चरण में 30,631 बीपीएल परिवार चिन्हित- योजना के पहले चरण में राज्य के 5002 गांवों में कुल 30,631 बीपीएल परिवारों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित समस्त परिवारों का भौतिक सर्वे पूर्ण कर लिया गया है तथा इनका बीपीएल जनगणना 2002 के आंकड़ों का मिलान कर वेब पोर्टल पर सर्वे इन्द्रज कर दिया गया है। सर्वे के आधार पर प्रत्येक गांव के लिए 'गरीबी मुक्त गांव कार्य-योजना' बना जा रही है। इस योजना में सरकार की अन्य योजनाओं का भी समन्वय किया जा रहा है ताकि गांवों का समग्र विकास हो सके। इस योजना का मूल उद्देश्य बीपीएल जनगणना 2002 के अनुसार चिन्हित परिवारों की जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाएगी।

बीपीएल परिवारों को एक लाख तक सहायता:-योजना के तहत बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इसी तरह स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को

प्रति परिवार 15 हजार रुपये तक की कार्यशील पूंजी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत उन्कृत्त कार्य करने वाले जिलों को प्रोत्साहन के रूप में विशेष वित्तीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले जिलों को क्रमशः 50 लाख, 35 लाख और 25 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। दूसरे चरण में भी 5002 गांवों को चयनित किया गया है, जहां बीपीएल परिवारों का सर्वेक्षण जारी है। इन गांवों में भी योजना के तहत योग्य परिवारों को र्चिा त कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 22 हजार 872 परिवारों का सर्वे किया जा चुका है। 'पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना' राज्य सरकार की एक क्रान्तिकारी पहल है जिसका लक्ष्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनेगी, बल्कि सामाजिक समावेशन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।



चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित उच्च स्तरीय बैठक ली।

मौसमी बीमारियों की स्थिति को देखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

खींवसर ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत प्रदेशभर में स्वीकृत नए चिकित्सा संस्थानों के लिए भूमि आवंटन की कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि सभी अधिकारी फील्ड में एक्टिव रहकर स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव ने जिला

अस्पताल, उप जिला अस्पताल, ट्रामा सेंटर एवं एम्बसीएच सेंटर के नए भवनों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. टी. शुभमंगला, निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रितेश्वर, ओएसडी एनएचएम डॉ. संतोष गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समस्त संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी सहित संबंधित अधिकारीगण वीसी के माध्यम से जुड़े।